118

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
समक्ष एम.के. सिंह
सदस्य

पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक 877/II/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.02.2012 पारित द्वारा राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 702/II/2012 निगरानी

हीरालाल सिंह पुत्र श्री शिवशरण सिंह,
निवासी अमिलकोनी, तहसील त्यौथर,
जिला रीवा (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

आम जनता बरूआ द्वारा सरपंच,
ग्राम पंचायत बरूआ, तहसील त्यौथर,
जिला रीवा (म.प्र.)

...... अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषकगण, आवेदक
अनावेदक को रजिस्ट्री से सूचना उपरान्त अनुपस्थित

आदेश

(आज दिनांक ..18./12/2015)

यह पुनर्विलोकन आवेदकगण द्वारा राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 702/II/2012 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.02.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक सेना का भूतपूर्व अधिकारी है उसने अपने सेवाकाल के दौरान आराजी क्रमांक 152 रकवा 5.78 एकड के अंश भाग 1.00 एकड स्थित ग्राम बरूआ पटवारी हल्का अमिलकोनी जो

शासकीय भूमि थी के अंश भाग में अपना मकान व मवेशियों को बादने की सार तथा मवेशियों के चारा, भूसा खिलाने की अवाह दिनांक 26.09.1970 के पूर्व के बनी होने के आधार पर अपने नाम व्यवस्थापन के संबंध में सेना विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र तहसीलदार त्यौथर को भेजा गया था। इसके अलावा उक्त भूमि के अंश भाग में मकान निर्माण कराकर कब्जा किये जाने के संबंध में उसके विरूद्व 248 भू–राजस्व संहिता की कार्यवाही की गयी थी जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपीली प्रस्तुत की गयी थी उक्त अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण आदेश दिनांक 21.01.1974 को इस निर्देश के आदेश पारित किया गया था कि अपीलार्थी भारतीय सेना का कर्मचारी है और उसपर उक्त भूमि के अतिरिक्त आवास हेतु कोई भूमि का व्यस्थापन मध्य प्रदेश ग्रामों की दखल रहित भूमि विशेष अधिनियम 1970 के अनुसार किया जा सकता है। विवादित भूमि का रकवा आवेदक के नाम आवंटित किया जाये उक्त आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी त्यौथर के समक्ष भूमि व्यवस्थापन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 28/ए–68/76–77 पर पंजीबद्व होकर आदेश दिनांक 13.02.1978 से तहसीलदार त्योथर को आवेदक के नाम भूमि व्यवस्थापन किये जाने के निर्देश दिये जाने का आदेश पारित किया। जिसके पालन में अतिरिक्त तहसीलदार त्यौथर द्वारा प्रकरण की सुनवाई की जाकर आवेदक के नाम भूमि के अंश भाग 0.55 एकड का व्यवस्थापन का पात्र पाये जाने पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के नाम व्यवस्थापित किये जाने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्व किसी भी व्यक्ति द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की केवल एक तथा कथित शिकायत के आधार पर जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया जाकर तहसीलदार त्योथर द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 702 दो/2012 प्रस्तुत की गयी थी, जो आदेश दिनांक 29.02.2012 निरस्त हुयी तत्पश्चात् पुर्नविलोकन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि आवेदक सेना का भूतपूर्व अधिकारी है और उसने अपने सेवाकाल के दौरान आराजी नं. 152 रकवा 5.78 एकड़ के अंश भाग 1.00 एकड़ स्थित ग्राम बरूआ पटवारी हल्का अमिलकोनी जो शासकीय थी के अंश भाग में अपना मकान व मवेशियों को बाधने के सार तथा मवेशियों को चारा भूसा खिलाने का अवाह दिनांक 26.09.1970 के पूर्व से बनी होने के आधार पर अपने नाम व्यवस्थापन किये जाने के संबंध में सेना विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र तहसीलदार त्योंथर को भेजा था इसके अलावा उक्त भूमि के अंश भाग में मकान निर्माण कराकर कब्जा किये जाने के संबंध में उसके विरूद्व 248 म.प्र. भू–राजस्व संहिता की कार्यवाही की गयी थी। जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अपर आयुक्त महोदय के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। व उक्त अपील स्वीकार की जाकर दिनांक 21.01.1974 को न्यायालय द्वारा इस निर्देश के साथ आदेश पारित किया गया था कि आवेदक भारतीय सेना का कर्मचारी है और उसके पास उक्त भूमि के अतिरिक्त आवास हेतु कोई भूमि का व्यवस्थापन म.प्र. ग्रामों की दखलरहित भूमि विशेष अधिनियम 1970 के अनुसार किया जा सकता है। विवादित भूमि का रकवा आवेदक के नाम आवंटन किया जाये व उक्त आदेश व निर्देश के अनुसार आवेदक का विवादित भूमि पर पुराना कब्जा जरिये मकान निस्तार पाये जाने पर आवेदक के नाम विवादित भूमि का व्यवस्थापन किये जाने के संबंध में आदेश अनुविभागीय अधिकारी त्योथर द्वारा दिनांक 13.02. 1978 को पारित किया इसके पश्चात् अतिरिक्त तहसीलदार त्योथर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.1989 से भूमि के अंश भाग 0.55 एकड का व्यवस्थापन आवेदक के नाम किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्व किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी अतः ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया।

आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अतिरिक्त तहसीलदार त्योथर का आदेश दिनांक 07.06.1989 अंतिम हो जाने के पश्चात् ग्राम पंचायत संरपच द्वारा राजनैतिक पार्टी बंदी के कारण एक तथाकथित शिकायत जिलाध्यक्ष महोदय के समक्ष की गयी थी जिसके आधार पर जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण

पंजीबद्ध कर आवेदक को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना ही पारित आदेश दिनांक 13.02.2012 से स्वप्रेरणा निगरानी स्वीकार कर अतिरिक्त तहसीलदार त्योथर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.1989 निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया। जबकि लम्बे समय पश्चात् स्वप्रेरणा में पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जिलाध्यक्ष के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 702 दो/2012 प्रस्तुत किया था जो माननीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख बुलाये बिना एवं उसकी जांच किये बिना पारित आदेश दिनांक 29.02.2012 से निरस्त कर दिया गया है। जबकि धारा 50 के अधीन प्रस्तुत पुनरीक्षण में अभिलेख बुलाये जाना आवश्यक है इस संबंध में 1989 आर.एन. 336, 1990 आर.एन. 95 उच्च. न्या. के न्यायदृष्टात प्रस्तुत किये गये।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्का में यह भी बताया गया कि जिलाध्यक्ष रीवा द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत् विवादित आदेश पारित किया है जबकि लगभग 23 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन आदेश को स्वमेव निगरानी में लिया गया है पट्टेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिये तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम यूनियम ऑफ इण्डिया एस.एस.सी 44 में यह मत निर्धारित किया गया है कि स्वप्रेरणा की निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जानी चाहिये माननीय उच्च न्यायालय न्यायधीश श्री एस.के. गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित विरूद्ध म.प्र. शासन तथा एक अन्य राजस्व निर्णय 2013 पृष्ठ 8 में भी 180 दिन के बाहर ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतः उन्होने पुनर्विलोकन स्वीकार किये जाने एवं आवेदक के हित में किये गये व्यवस्थापन आदेश को स्थिर रखे जाने तथा जिलाध्यक्ष रीवा द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

4– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर मनन किया गया एवं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिलाध्यक्ष रीवा द्वारा आवेदक के हित में किये गये व्यवस्थापन आदेश को लम्बे समय पश्चात् स्वमेव पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश पारित किया है। प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन अतिरिक्त तहसीलदार त्योथर द्वारा दिनांक 07.06.1989 को किया गया था एवं प्रस्तावित कार्यवाही वर्ष 2012 में प्रारंभ की गयी है ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधिवत् सम्मत् नहीं पाता हूँ अतः प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो के परिपेक्ष्य में जिलाध्यक्ष रीवा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2012 एवं जिलाध्यक्ष रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2012 विधिवत एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किये जाते हैं। परिणाम स्वरूप पुनर्विलोकन स्वीकार किया जाकर अतिरिक्त तहसीलदार त्योथर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.1989 स्थिर रखा जाता है। परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज किया जाये तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिला का रिकार्ड हो।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर